संख्याः 676 /XVII(4)/2013/**246/06**

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2013

विषयः **''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4215/घ0हिं0अधि0–1239/2012–13 दिनांक 2–2–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य की 105 परियोजना में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ही जिला कार्यक्रम अधिकारियों के स्थान पर संरक्षण अधिकारी नामित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारियों/समस्त संरक्षण अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को समस्त संरक्षण अधिकारियों के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/दायर वादों के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम0पी0आर0) के साथ प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने तथा वर्तमान प्राविधान में जिला कार्यक्रम अधिकारियों/अन्य विभागीय संरक्षण अधिकारियों को कार्यदायित्व से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से वर्तमान प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुए समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों/अन्य विभागीय संरक्षण अधिकारियों को कार्यदायित्व से मुक्त करते हुए ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

12/3/13

(सी0एस0 नपलच्याल)
अपर सचिव।